DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative & other matters) Friday 28th June, 2002 / Ashadha 7, 1924 (Saka)

No. 213

1. COMMENCEMENT OF THE THIRTEENTH SESSION OF THE SECOND LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI.

Hon'ble Members are informed that the Thirteenth Session of the Second Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi will commence on Monday, the 15th July, 2002 at 2.00P.M. in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi.

2. <u>ALLOTMENT OF THE DAYS FOR THE TRANSACTION OF BUSINESS DURING THIRTEENTH SESSION.</u>

The sittings of the Legislative Assembly for the transaction of business have been tentatively fixed for 15,16,17,18,19 July, 2002.

3. TIME OF SITTINGS

The sittings of the Legislative Assembly shall commence at 2.00 P.M. and continue till it is adjourned for the day.

4. NOTICES OF QUESTIONS AND HOLDING OF BALLOT

Under Rule 33 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, not less than 12 days clear notice of question is required to be given by the members. Under Rule 36, the Members can given notice of a maximum of five questions in a day (including Short Notice Starred and Unstarred Questions). In case any member gives notices of more than five questions on any day, only his first five notices will be taken up and remaining notices shall be deemed to have been rejected.

5. <u>ALLOTMENT OF DAYS FOR ANSWERING QUESTIONS DURING THE THIRTEENTH SESSION (RULE 37)</u>

For the Thirteenth Session, the days for answering questions by Ministers in respect of various Departments have been set out as under:

Contd- 2

.No.	Department	Date of sitting	Last date for receipt of questions for the Deptt. in col. 2	Date of holding ballot for determination of priority for oral questions
1	2	3	4	5.
1.	Administrative Reforms, General Administration, Education, Training & Technical Education, Higher Education, Vigilance, Languages, Labour, Art & Culture	15.72002	2.7.2002(up to 3.00 P.M.	2.72002) at 5.00 P.M.
2.	Home, Planning , Revenue, Cooperative, Prevention of Food, Adulteration, Jail, Services, Medical & Public Health.	16.72002	3.72002 upto 3.00 P.M.	3.7.2002 at 5.00 P.M.
3.	Food & Supplies, Public Relations; Sales Tax, Gurudwara and Administration of Gurudwara, Elections, Finance, Urban Development, Family Welfare, Transport.	17.72002	4.72002 upto 3.00 P.M	4.7.2002 at 5.00 P.M.
4.	Land & Buillding, PWD and Housing, lrrigation & Flood Control, Industries, Water and Power.	18.72002	5.72002 upto 3.00 P.M.	5.00 PM
5	Excise, Environment, Forest & Wild life, Development, Tourism, Election, Employment, Law Justice & Legislative Affairs, Welfare of SC/ST, Information & Technology, Social Welfare.		8.72002 upto 3.00 PM	8.72002 at 5.00 PM

- Note: (1) Notices of the Question for the Thirteenth Session will be received with immediate effect. The question should primarily relate to one Department only (Rule 31(xxii).
- Members may kindly note that if notice of question is received after the last date and time in respect of various departments vide col. No. 3 and 4, such a notice shall stand disallowed. The time for receipt of notices shall be up to 3.00 P.M. on the last date of receipt of questions for departments.
- (3) Where the questions draw a reference to a news item published in a national or local daily, the question in order to be admissible, must be accompanied by the relevant clipping of the news items. The questions not accompanied by relevant clippings are likely to be disallowed.
- (4) The clubbing of questions will be done in case several notices of question on the same subject matter are received. Notices or questions subsequently received and repeating in substances the same subject matter are liable to be disallowed (Rule 31 (vii).
- (5) Members are requested to indicate clearly and legibly their priority in respect of questions. If no priority is indicated, the same will be decided according to the Rules.
- (6) Ballot will be held in the room of the Secretary (Room No. 53) as per Timings indicated Hon'ble Members are welcome to participate in the balloting.
- (7) Members may kindly note that notices of questions relating to day- to day administration and functioning of Municipal Corporation of Delhi may not be entertained. The same are liable to be disallowed under Rule 31(xiii).

7. SPECIAL MENTIONS UNDER RULE 287

Members who want to raise matters under Rule 287 may give notice of the same by 11.00 A.M. on the date the matter is proposed to be raised. Balloting for fixing inter-se priority for the first 10 notices will be held in the room of the Secretary at 11.15 AM on each day. Hon'ble members are requested to participate in the balloting.

Members are requested to confine the text of the Special Mention to 8-10 lines only and not to deviate from the original text while raising the same on the floor of the House. The matter should relate to only one Department and raise only one issue.

8. PRIVATE MEMBER'S BUSINESS

The sittings of the House to be held on 19th July,2002 has been allotted for Private Members Bills and Resolutions. The Notices of Private Member Bills & resolutions will be received up to 3.00 P.M. 0n 5th July 2002. The balloting for inter-se priority of Private Member Bills & resolutions will be held on 5th July at 5.00 P.M. in the Room of Secretary. Members are welcome to participate in balloting.

9. NOTICE OFFICE

Member are informed that the THE NOTICE OFFICE IS LOCATED IN ROOM NO. 46 (Adjoining to the Room of Minister of Social Welfare).

10. VISITORS' GALLERY

As per direction of Hon'ble Speaker, Application forms for the issue of visitors gallery passes must be submitted by 5.00 PM on the working day previous to the date for which the gallery passes are required. For example, application for the gallery passes meant for sitting of the House on 15th July, 2002 will be accepted up to 5.00 PM on the earlier working day i.e. 12th July, 2002. Similarly, applications for gallery passes for the subsequent dates would be processed and issued in the like manner.

The seating capacity in the visitors gallery being limited, not more than two passes shall

ordinarily be issued to a member for each sitting.

No admission cards for the Visitors Gallery will ordinarily be issued on the same

Members are requested to recommend issue of gallery passes only for those visitors day. whose antecedents are well known to them.

NOTE:-

MOBILE PHONES, PAGERS OR OTHER ELECTRONIC GADGETS ETC MAY KINDLY BE KEPT OUTSIDE THE HOUSE. IF SOMEHOW BROUGHT IN THE HOUSE, KINDLY ENSURE THAT THEY ARE KEPT SWITCHED OFF.

> S. K. SHARMA SECRETARY

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी) शुक्रवार, 28 जून, , 2002/आषाड 7, 1924(राक)

संख्या : 2/3

(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की दूसरी विधान सभा के तेरहवें सत्र का पारम्भः

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की दूसरी विधान सभा का तेरहवां सत्र सोमवार, दिनांक 15 जुलाई,2002 को अपराहन 2;00 बजे से विधान सभा सभाजार, पुराना सचिवालय, दिल्ली में प्रारम्भ होगा ।

- (2) तेरहवें सत्र के दौरान कार्य निष्पादन के लिये दिनों का आबंटनः कार्य निष्पादन हेतु विधान सभा की बैठकें अस्थायी तौर पर 15,16,17,18 और 19 जुलाई,2002 के लिए निधारित की गई हैं।
- (3) विधान सभा की बैठकों का समयः

जब तक अध्यक्ष अञ्चथा आदेश न दें, विधान सभा की बैठकें अपराह्न 2.00 बजे प्रारम्भ होगी और तब तक चलेंगी जब तक उसे उस दिन के लिये स्थगित न कर दिया जायें ।

(4) प्रश्नों की सूचनाएं एवं बैलेटः

विधान सभा प्रकिया एवं कार्य संचालन नियम:33 के अंतर्गत समस्त माननीय सदस्यों द्वारा परनों की सूचनाएं भेजते समय स्पष्ट रूप से कम से कम 12 दिन का समय देना आवश्यक है ! नियम:36 के अंतर्गत सदस्य (अल्प सूचना परन,तारांकित परन तथा अतारांकित परन सहित) एक दिन के लिये केवल पांच परनों की सूचनाएं दें सकते हैं ! यदि कोई सदस्य एक दिन के लिये पांच से अधिक परनों की सूचनाएं देता है तो उनकी पहली पांच सूचनाएं स्वीकृत की जारोंगी और बाकी सूचनाएं अस्वीकृत समझी जारोंगी !

(5) तेरहवें सत्र के दौरान पहनों का उत्तर देने के लिये दिनों का आबंटन (नियम-37)

मंत्रियों द्वारा तेरहवें सत्र में विभिन्न विभागों से संबंधित परनों का उत्तर देनें के लिए निम्नानुसार दिनों को निर्धरित किया गया है :-

कम सं0 विभाग वै	ठक की तिथि	कॉलम में दर्शाये गये विभागों से संबंधित परनों के नोटिस प्राप्त करने की तिथि	मौलिक रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए बैलेटिंग की तिथि ।
i	2	3	4
प्रशासनिक सुधार, सामान्य प्रशासन	15.7.200	2.7.2002	2.7.2002
शिक्षा,प्रशिक्षण एवं तकनीकी		3.00 बजे तक	5 .00 बजे
शिक्षा,उच्च शिक्षा,सतर्कता,			
भाषा,श्रम,कला एवं साहित्य			
गृह,योजना,राजस्य,सहकारिता,			
खाद्व अपमिश्रण,काराजार,			
सेवाएं,विकित्सा एवं जन स्वास्थ	य 16.7.200	3.7.2002	3.7.2002
		3.00 बजे तक	5 बजे
	17.7.2002	4.7.2002	4.7.2002
र एवं संभरण, जन संपर्क,		3 बजे तक	5 बजे
ो कर,गुर्द्वारा चुनाव एवं प्रशासन	ज़,		
न, राहरी विकास, परिवार कल्याण,			
वहन			

भूमि एवं भवन, 5.7.2002 5.7.2002 18.7.2002 (4) 3 बजे तक 5 बजे लोक निर्माण विभाग एवं आवास, सिंचाई एवं बाढ कियंण, उद्दोग, जल और उर्जा (5) आबकारी, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवन, 19.7.2002 8.7.2002 8.7.2002 विकास, पर्यटन, चुनाव, रोजगार, विधि, न्याय एचं 3.00 बजे तक 5.00 बजे विधायी कार्य विभाग, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण, सूचना एवं पोघोगिकी, समाज कल्याण

टिप्पणी

- परन सामान्यतः एक ही विभाग से संबंधित होने चाहिए (नियम 31 (XXII))
 तेरहवें सत्र हेतु परनों की सूचना तत्काल प्रभावी होगी ।
- 2. माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि कालम 3 और 4 के अनुसार यदि विभिन्न विभागों से संबंधित किसी पश्न की सूचना अंतिम तिथि और समय के पश्चात् प्राप्त होगी तो ऐसी सूचना अस्वीकृत मानी जायेगी । सूचनाएं प्राप्त करने का समय अपराह्न 3:00 बजे तक है ।
- उत्हां प्रश्न में किसी राष्ट्रीय अथवा स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित किसी समाचार का हवाला दिया जाये, वहां ऐसे प्रश्न को ग्राह्य बनाने हेतु उसके साथ संबंधित समाचारों की कतरन नत्थी करना आवश्यक है। इस तरह के जिन प्रश्नों के साथ संबंधित समाचारों की कतरनें नत्थी नहीं की जायेंगी, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- 4. पहलों को संयुक्त केवल उसी स्थिति में किया जायेगा, जब एक ही तरह के विषय पर बहुत से पहलों की सूचनाएं प्राप्त होंगी । बाद में प्राप्त की गर्यी सूचनाएं, यदि उसी विषय से संबंधित होंगी तो उन्हें नियम-31(7) के अंतर्गत अस्वीकार कर दिया जायेगा ।
- 5. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे पहनों पर अपनी प्राथमिकता का संकेत स्पष्टता और सफाई से दें । यदि प्राथमिकता का संकेत नहीं दिया जाता है तो प्राथमिकता का निर्णय नियमों के अनुसार किया जायेगा ।
- 6. प्रश्नों की बैलेटिंग सचिव के कमरा न. 53 में दिये गये समयानुसार की जायेगी । सभी माननीय सदस्य बैलेटिंग में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित हैं ।
- 7. माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि दिल्ले नगर निगम के दैनिक प्रशासन और कार्यकलापों से संबंधित सूचनाएं न दी जाएं । ऐसे पहनों को नियम 31 (13) के अंतर्गत अस्वीकार कर दिया जायेगा ।

(7) नियम 287 के अंतर्गत विशेष उल्लेख

जो माननीय सदस्य नियम 287 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामलों को जिस दिनधितीय को उठाना चाहते हैं, प्रस्तावित विषय की सूचना उसी दिन पूर्वाह्न 11:00 बजे तक दे सकते हैं । प्रथम 10 सूचनाओं की प्राथमिकता निधारित करने हेतु बैलेटिंग प्रत्येक दिन पूर्वाह्न 11:15 बजे सचिव, विधान सभा के कक्ष में की जायेगी । माननीय सदस्यों से बैलेटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनुरोध किया जाता है । सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे विशेष उल्लेख के पाठ को केवल 8–10 लाइनों तक ही सीमित रखें और सदन में उस समय उस विषय को उठाते समय केवल मूल पाठ ही पढ़ें । विषय केवल एक ही विभाग एक मुद्दे से संबंधित होना चाहिए।

(8) गैर सरकारी सदस्यों का कार्य

शुक्वार 19, जुलाई, 2002 को होने वाली सदन की बैठक की तिथि अस्थायी तौर पर गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों के लिए आबंदित की गयी है। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों की सूचनाएं प्राप्त करने की अंतिम तिथि 5 जुलाई, 2002 अपराह्न 3.00 बजे तक है। 5 जुलाई, 2002 को अपराह्न 5.00 बजे सचिव के कक्ष में बैलेटिंग होगी। माननीय सदस्यों का बैलेटिंग में भाग लेने के लिए स्वागत है।

(9) नोटिसों की प्रकिया

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि नोटिस कार्यालय कमरा न0 46 (मंत्री समाज कल्याण के कमरे से पहले) स्थित है ।

(10) दर्शक दीर्घा प्रवेश पत्र

माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार दर्शक दीर्घा के प्रयेश पत्र जारी कराने के आवेदन-पत्र जिस दिन के लिए प्रवेश पत्र चाहिए, उस दिन से पूर्व एक कार्य दिवस को अपराह्न 5:00 बजे तक अवश्य प्रस्तुत किये जाएं । उदाहरणार्थ 15.7.2002 को होने वाली सदन की बैठक के लिए दर्शक दीर्घा के लिये आवेदन पत्र पूर्व कार्य दिवस अर्थात् 12.7.2002 को (13 एवं 14.7..2002 को अवकाश होने के कारण) अपराह्न 5:00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे । इसी प्रकार अनुवर्ती तिथियों के दीर्घा प्रवेश पत्रों के लिये आवेदन पत्रों पर कार्रवाई की जायेगी और वे इसी प्रकार से स्वीकार किये जाएंगे ।

दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए सीमित स्थान होने के कारण एक सदस्य को प्रत्येक बैठक के लिए दो से अधिक प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। दर्शक दीर्घा के लिए प्रवेश-पत्र सामान्यता उसी दिन जारी नहीं किये जाएंगे।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल उन्हीं दर्शकों को दर्शक दीर्घा प्रवेश-पत्र जारी करें,

जिनके चरित्र के बारे में वे भली-भांति जानते हों ।

टिप्पणीः

कृपया मोबाइल टेलिफोन आदि सदन के बाहर ही रखें। यदि किसी कारणवश ले आये हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि सदन में इनके स्विच बंद रहें।

एस.के.राम

249